अपिलिय क्षेत्राधिकार :-

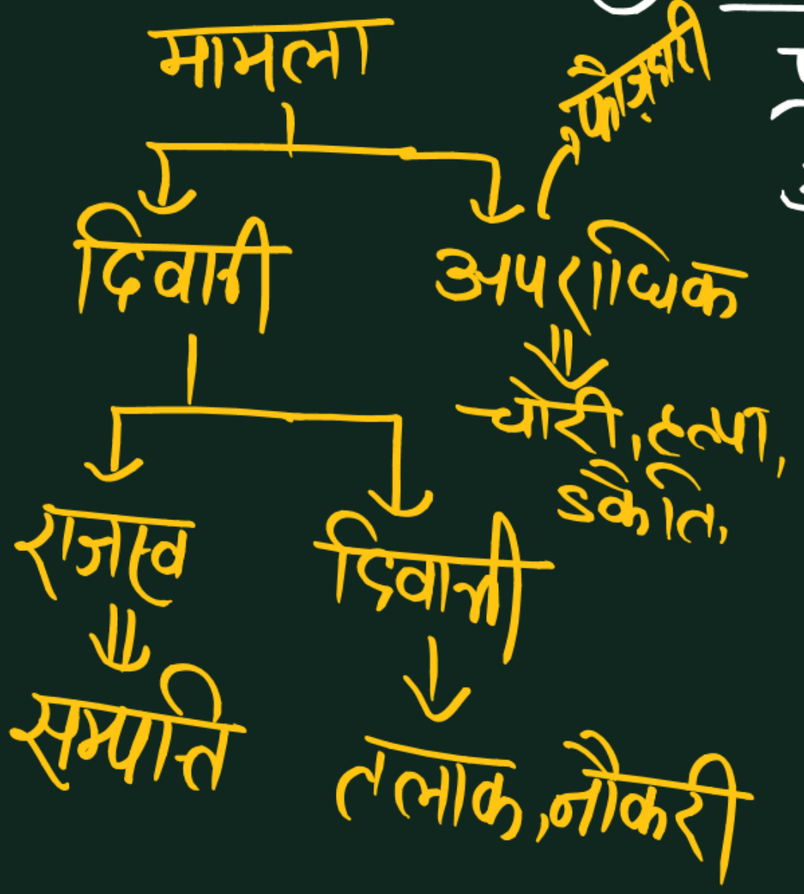

① दिवानी मामले मे HC के निर्णय मे कोई विधि का प्रश्न अन्तर्निहित हो तो, अपिल के प्रमाण पत्र पर उच्चतम न्यायालय मे अपिल कर सकते है।

② यदि मामला अपराधिक हो, तो ——

I - जिला न्यायालय ने निर्दोष करार दिया हो, और HC मृत्युदण्ड दे दें।

II :- जिला न्यायालय मे चल रहे मामले को HC अपने पास मँगा कर मृत्युदण्ड दे दें।

(3) यदि HC को महसूस हो कि निर्णय सुनाने पर विधि का प्रश्न अन्तर्निहित रहेगा, तो मामले का SC भेज सकेगा — सारवान प्रक्रिया।

अनु० - 136 :- SLP - विशेष इजाज़त से अपिल :-

⇒ सैन्य न्यायालय के निर्णय को छोड़कर, अन्य किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध SC से विशेष इजाज़त लेकर SC मे अपिल कर सकते है।

अमेरिका ← यह शक्ति SC और HC दोनों के पास है।

अनु०-137 :- न्यायिक पुनर्विलोकन :-

↳ उच्चतम न्यायालय पूर्व मे दिये गये निर्णय मे परिवर्तन कर सकता है, या रद्द कर सकता है।

अनु०-139 :- SC के पाँच writ मे संसद कमी या वृद्धि कर सकेगा।

1. बन्दि प्रत्यक्षीकरण ← Habeas Corpus
2. परमादेश — Mandamus
3. अधिकार पृच्छा — Quo-Warranto
4. प्रतिषेध — Prohibition
5. उत्प्रेषण — Certiorari

} अनु० 32

अनु-126 :- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।

→ ऐसा व्यक्ति जो SC मे न्यायाधीश बनने योग्य हो।

अनु०-127 :- तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।

तदर्थ ⇓ Ad-hoc ⇓ संविदा

गणपूर्ति

CJI

↳ जब उच्चतम न्यायालय मे न्यायाधीशों का गणपूर्ति पूर्ण नही हो रहा हो तो ऐसी स्थिति मे मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा।

अनु० - 128 :- अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति :

मामले में वृद्धि

⇓

जल्दी से निपटारा

⇓

SC - Rtd. न्यायाधीश

⇓

नियुक्ति

⇓

CJI

↳ SC में मामले में अत्यधिक वृद्धि हो तो मामले के निपटारे के लिए CJI राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर SC के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कार्य सिफारिश कर सकेगा।

SC का

अनु-129 :- अभिलेख न्यायालय :-

- SC का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को SC स्वयं दण्डित कर सकेगा।
- SC के द्वारा दिया गया निर्णय निचली अदालत मे साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत किया जायेगा।